उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या–510/26–2–2013
लखनऊः दिनांक 01 मार्च, 2013

उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–5050(एसएस)/2012 योजित कर मा0 न्यायालय से मुख्य रूप से निम्न अनुतोष मांगा गया है।

(1) शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2009 एवं आदेश दिनांक 29 मई, 2009 को निरस्त करने, शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 2009 के उस अंश जिसमें इसका लाभ तत्काल प्रभाव से दिया गया है, को निरस्त करने तथा शासनादेश दिनांक 21 मई, 2010 के उस अंश जिसमें निम्न वेतनमान इंगित है, को निरस्त किया जाय।

(2) शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 2009 का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से दिये जाने का संशोधन आदेश निर्गत किया जाय।

(3) पुनरीक्षित वेतन संरचना, चयन वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान आदि जैसा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में अनुमन्य कराया गया है, दिया जाय।

2. उपर्युक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2012 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् हैः–

As the issue with respect to grant of revised pay- scale to the petitioners in pursuance of 6th pay commission is pending with the state Government and the Director, Social Welfare, U.P. Lucknow has already submitted his comments to the Principal Secretary, Department of social welfare, Government of U.P. Lucknow by means of letter dated 21.03.2012 (Annexure No. 15) this court feels that in order to meet the ends of justice it would be appropriate that necessary directions be issued to the Principapal Secretary, Department of social welfare, U.P. Lucknow to examine the issue and decide the same in accordance with law.

Writ petition is, therefore disposed of finally with the direction to the Principal Secretary, finance, U.P. Government Lucknow as well as the Principal Secretary, Department of social welfare, U.P. Lucknow to examne

क्रमशः.....2

the grivance of the petitioners with respect to fixation of pay- scale in pursuance of the recommendations of 6th pay commission and decide the same after taking into consideration the recommendation of the Director, social welfare, U.P. Lucknow within period of three months from the date of reciept of certified copy of this order.

3. उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन की मांगों से सम्बन्धित प्रत्यावेदन दिनांक 25 फरवरी, 2012 के सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 21 मार्च, 2012 के माध्यम से प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को निम्नानुसार आख्या/ संस्तुति प्रेषित की गई है:—

(1) समाज कल्याण द्वारा जिन प्राइमरी विद्यालयों को विभागीय आवर्तक अनुदान पर लिया गया है, उनमें स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत अंध्यापकों के वेतनमान भुगतान मात्र की प्रतिबद्धता स्वीकार की गयी है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक शिक्षकों के समान इन विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य नहीं की गयी है। अन्य सुविधायें दिये जाने पर शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

(2) विभागीय आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों में से जिन अध्यापकों की नियुक्ति उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती, सेवा शर्ते व अन्य शर्ते) नियमावली, 1975 एवं प्रथम संशोधन अधिसूचना, 1977 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति की गयी हो और वे अध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राथमिक अध्यापकों हेतु निर्धारित अर्हताधारी हों एवं शासन द्वारा अनुमोदित हों, उन्हें बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के समान वेतन के समतुल्य आंकलित धनराशि अनुदान के रूप में दी जाये और जिन अध्यापकों की नियुक्तियाँ उक्त नियमावली में विहित प्रक्रियाओं के अनुरूप न की गयी हो, उन्हें बेसिक शिक्षा परिषद के समुचित अर्हताधारी एवं नियमित रूप से नियुक्त अध्यापकों के समतुल्य वेतनमान के अनुरूप आंकलित धनराशि अनुदान के रूप में न देकर एक निम्नतर वेतनमान के अन्तर्गत आंकलित धनराशि के अनुरूप अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

क्रमशः.....3

यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन अध्यापकों को उक्त नियमावली, 1975, प्रथम संशोधन 1977 द्वारा विहित प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है, उन्हें सदाशयतापूर्वक ही निम्नतर वेतन के समतुल्य अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वास्तव में इस श्रेणी के अध्यापकों हेतु शासन की इस विशेष छूट के न होने की स्थिति में उनके वेतन हेतु कोई अनुदान देय ही नहीं था।

(3) इन शिक्षकों द्वारा की गयी मांग इस अवधारणा पर है कि इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक शिक्षकों की भांति सुविधायें अनुमन्य करायी जायें, जबकि शासन द्वारा केवल इनके वेतन के समतुल्य अनुदान मात्र ही अनुमन्य कराये जाने की प्रतिबद्धता है।

(4) बेसिक शिक्षा परिषद के समान अर्हताधारी एवं उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा शर्ते और अन्य शर्ते) नियमावली 1975 यथा संशोधित अधिसूचना 1977 के नियम–9 में विहित व्यवस्थानुसार नियुक्त अध्यापकों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को देय वेतनमान के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव निदेशालय के पत्र संख्या–4159/स0क0/शिक्षा/प्रा0पा0/उच्चीकृत/2011–12, दिनांक 23 फरवरी, 2012 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ है।

4. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत आवर्तक अनुदान पर संचालित विद्यालयों के अध्यापकों को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या–348/26–2012–4(392)/99, दिनांक 12 अप्रैल, 2012 द्वारा मांगी गयी आख्या के क्रम में निदेशक, समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या–1449/स0क0/शिक्षा/2012–13, दिनांक 27 सितम्बर, 2012 द्वारा समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत आवर्तक अनुदान से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों जिन्हें शासनादेश संख्या–2266/26–2–2009– 4(392)/99, दिनांक 25 नवम्बर, 2009 द्वारा छठे वेतन के अन्तर्गत वेतन अनुमन्य किया गया है, को शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक

विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को दिये जा रहे वेतनमान के समतुल्य निम्नवत् वेतनमान स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है:—

क्र. सं.	अध्यापक	अपुनरीक्षित वेतनमान	संशोधित वेतनमान / ग्रेड	सादृश्य वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन	
				वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
01.	**सहायक अध्यापक**			**वेतन बैण्ड–2**	
	साधारण वेतनमान	4500–7000	ग्रेड–3 6500–10500	9300–34800	4200
	चयन वेतनमान	5000–8000	ग्रेड–2 7450–11500	9300–34800	4600
	प्रोन्नत वेतनमान	5500–9000	ग्रेड–1 7500–12000	9300–34800	4800
02.	**प्रधानाध्यापक**			**वेतन बैण्ड–2**	
	साधारण वेतनमान	5500–9000	ग्रेड–3 7450–11500	9300–34800	4600
	चयन वेतनमान	6500–10500	ग्रेड–2 7500–12000	9300–34800	4800
	प्रोन्नत वेतनमान	7500–12000	ग्रेड–1 8000–13500	9300–34800	5400

5. वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों के ऐसे शिक्षक, जिनकी अर्हता, भर्ती की विधि तथा शिक्षण स्तर शिक्षा विभाग के समान था, उन शिक्षकों को शिक्षा विभाग के समान पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का निर्णय समाज कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2004 / दिनांक 17 नवम्बर, 2004 द्वारा लिया गया है। इस निर्णय के फलस्वरूप रू0 3200–5410 के वेतनमान वाले प्रधानाध्यापक को रू0 5500–9000 एवं रू0 3200–4900 के वेतनमान वाले सहायक अध्यापकों को रू0 4500–7000 का वेतनमान तथा नियत वेतन के शिक्षकों को रू0 2750 नियत वेतन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से यथावत रखा गया। उक्त विद्यालयों के ऐसे शिक्षक, जिनकी अर्हता, भर्ती की विधि तथा शिक्षण स्तर शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान नहीं था, उन्हें अनुमन्य हो रहे वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान क्रमशः रू0 3200–5410 एवं रू0 3200–4900 पूर्ववत् अनुमन्य रहा।

इन शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के सादृश्य चयन वेतनमान व पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था नहीं है।

6. वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में विभिन्न विभागों / विद्यालयों के शिक्षकों को सामान्य पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1315 / दस–59(एम) / 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006

क्रमशः.....5

से अनुमन्य कराया गया। उक्त निर्णय के क्रम में समाज कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 2009 द्वारा रू0 5500–9000 एवं रू0 4500–7000 के वेतनमान के शैक्षिक पदों पर शिक्षा विभाग के समकक्ष पदों के समान सामान्य पुनरीक्षित वेतन संरचना के क्रमशः वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 तथा वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया गया।

7. इसके उपरान्त समाज कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 21 मई, 2010 द्वारा उपर्युक्त निर्गत शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 2009 द्वारा तत्काल प्रभाव से अनुमन्य करायी गयी पुनरीक्षित वेतन संरचना को संशोधित करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य कराया गया तथा इनसे भिन्न के शिक्षक, जो शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समतुल्य अर्हताधारी नहीं थे, उन्हें पूर्व में अनुमन्य वेतनमान क्रमशः रू0 3200–4510 व रू0 3200–4900 का सामान्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 तथा नियत वेतन रू0 2750 वाले शिक्षकों को रू0 7300 नियत वेतन अनुमन्य कराया गया।

8. वेतन समिति (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन के प्रस्तर–14(3) में समाज कल्याण विभाग की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक पदों पर शिक्षा विभाग के समान अर्हता तथा भर्ती की व्यवस्था रखते हुए वेतनमान तथा समयमान वेतनमान शिक्षा विभाग की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के समान दिये जाने की संस्तुति की गयी। उक्त संस्तुति पर वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 16 मार्च, 2011 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया कि इस संस्तुति पर प्रशासकीय विभाग द्वारा अलग से विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

9. समाज कल्याण विभाग के आवर्तक अनुदान से संचालित विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 2004 द्वारा लिये जा चुके निर्णय, याचीगण द्वारा पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 25 फरवरी, 2012, निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अपने पत्र दिनांक 21 मार्च, 2012 एवं पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2012 में की गयी संस्तुति एवं अर्द्धशासकीय पत्र दि0 16.03.11

क्रमशः.....6

के माध्यम से संसूचित निर्णय के सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21 सितम्बर, 2012 के अनुपालन में याचीगण के प्रकरण को एतद्द्वारा निस्तारित करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है:–

1. समाज कल्याण विभाग की सहायता प्राप्त तथा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त ऐसे शिक्षक जो बेसिक शिक्षा विभाग के समान अर्हताधारी एवं उ0प्र0 मान्यता प्राप्त जूनियर बेसिक विद्यालय (अध्यापकों की भर्ती, सेवा शर्ते व अन्य शर्ते) नियमावली, 1975, यथा संशोधित अधिसूचना 1977 के नियम–9 में विहित व्यवस्थानुसार नियुक्त किये गये हैं, को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के समान वेतनमान चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान उन्हीं शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाता है, जो परिषदीय शिक्षकों के लिए लागू है। साधारण वेतनमान वाले पदधारक को ग्रेड–3, चयन वेतनमान वाले पदधारक को ग्रेड–2 व पदोन्नति वेतनमान पाने वाले पदधारकों को ग्रेड–1, उसी प्रकार पदनामित किया जायेगा, जैसा कि परिषदीय शिक्षकों को शिक्षा अनुभाग–5 के शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 2009 द्वारा पदनामित किया गया है। देयता की शर्ते भी शिक्षा विभाग के समान होंगी। उक्त ग्रेड का लाभ दिनांक 01.01.2006 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–508/26–2–2013, दिनांक 28 फरवरी, 2013 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य कराया जायेगा।

2. उक्त विद्यालयों के ऐसे शिक्षक जो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं उ0प्र0 मान्यता प्राप्त जूनियर बेसिक विद्यालय (अध्यापकों की भर्ती, सेवा शर्ते व अन्य शर्ते) नियमावली, 1975, यथा संशोधित अधिसूचना 1977 के नियम–9 में विहित व्यवस्था के अनुसार नियुक्त नहीं किये गये हैं, वे शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के समकक्ष श्रेणी के शिक्षक नहीं माने जा सकते हैं। ऐसे शिक्षक के पदों पर समाज कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 21 मई, 2010 द्वारा

क्रमशः.....7

पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ पूर्व से ही अनुमन्य कराया जा चुका है। अतः इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता का औचित्य नहीं पाया गया है।

3. उक्त उच्चीकृत वेतन संरचना इन विद्यालयों को समाज कल्याण विभाग द्वारा देय एकमुश्त अनुदान की धनराशि के आगणन/निर्धारित करनें के प्रयोजनार्थ अनुमन्य करायी जा रही है। इसके आधार पर इन शिक्षकों द्वारा ऐसी किसी सुविधा का दावा अनुमन्य नही होगा, जो उन्हें शासन द्वारा पूर्व से स्वीकृत नहीं है। इसे सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षक एसोसिएशन के प्रत्यावेदन दिनांक 25.02.2012 को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

7/3/13

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव।

संख्या—510(1)/26—2—2013—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. याची उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षक एसोसिएशन, अम्बेडकर शिक्षा निकेतन, बड़ी लाल कुर्ती, कैण्ट, लखनऊ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नीलम अहलावत)
विशेष सचिव।